न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 02 सन 2019

अनवान :–

1. मोमनराम पुत्र भरूराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (फोत)
   1. रामस्वरूप (फोत) 1/1 सुन्दर पत्नी रामस्वरूप 1/2 इन्द्रा पुत्री रामस्वरूप 1/3 सुरेश पुत्र रामस्वरूप 1/4 राकेश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा
   2. राजेन्द्र पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन सरदारगढिया (फोत)
      2/1 गिदो पत्नी राजेन्द्र 2/2 विनोद कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार 2/3 बलवानसिह पुत्र राजेन्द्र कुमार जति जाट साकिन सरदारगढिया तह भादरा
   3. पालाराम पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन सरदारगढिया तहसील भादरा
   4. सावित्री पुत्री मोमनराम जाति जाट साकिन सरदारगढिया तहसील भादरा
   5. बिमला पुत्री मोमनराम जाति जाट साकिन सरदारगढिया तहसील भादरा

वादीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दीपाराम पुत्र जैसाराम उर्फ जैलाराम जाति राईका निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री हरिसिह सिहाग अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 14/06/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की

वादीगण के पिता स्व मोमनराम ने रोही मौजा चक 8 बारानी के प0न0 405/467(54) के किला न0 1 से 25 की कुल 6.325हैक भूमि राजस्थान सरकार से पुख्ता निलामी में खरीद की थी तब से लेकर आज तक पूर्व में वादीगण के पिता मोमनराम व मोमनराम के देहान्त होने पर वादीगण लगातार काश्त करते आ रहे है।

उक्त भूमि निलामी में खरीद करने पर निलामी की समस्त राशि वादीगण के पिता मोमनराम ने जमा करवाई गयी थी वादीगण के पिता मोमनराम ने उक्त भूमि निलामी में खरीद करते समय प्रतिवादी संख्या 2 दीपाराम राईका जो उट व उटनियों का टोला लेकर उनको चराने के लिये आया हुआ था और हमारे पिता के पास कुछ दिनों के लिये रूका था वरवक्त उक्त निलामी हमारे पिता मोमनराम के कहने पर ही भूमि निलामी के समय एक बोली हमारे पिता की और से दी गई थी लेकन हमारे पिता द्वारा उससे ज्यादा किमत की बोली लगाने पर हमारे पिता मोमनराम की सर्वोच्च बोली होने के कारण उक्त बोली मोमनराम के पक्ष में छोड दी गई थी और [illegible] दीपाराम प्रतिवादी संख्या 2 इसके कुछ दिन बाद सन 1971 मे अपने ऊट उटनियों को [illegible] कहीं चला गया और इसके बाद आज तक कभी भी लोटकर [illegible] ना ही उसका अता [illegible] मालूम है इसलिये उसकी सिविल डैथ व्यवहारिक मृत्यू हो चु[illegible] है और ना ही उस[illegible]ई वारिस गांव में मौजूद है ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:55:54 IST
Reason: SelfAttested

दीपाराम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक बार बोली देने के कारण सहवन से उस समय राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता स्वर्गीय मोमनराम के सथ दीपाराम बहिब दीपाराम का नाम दर्ज कर दिया लेकिन उसी समय सन 1971 में ही दीपाराम प्रतिवादी ने मुतवफी मोमनराम के पक्ष में एक शपथ पत्र उक्त भूमि में अपना कोई हक हिस्सा नही होने और मोमनराम अकेले की निलामी में खरीद शुद्धा भूमि होने के बाबत लिखकर तस्दीक करवा दिया था हमारे पिता अनपढ देहात का रहने वाला व्यक्ति था उसने असल शपथपत्र पटवारी हल्का को दे दिया और मान लिया था कि उक्त भूमि के उसके अकेले के नाम दर्ज हो गयी है ।

उक्त प्रतिवादी संख्या 2 दीपाराम द्वारा आज तक कभी भी ना तो भूमि काश्त की गई है और ना ही लगान अदा किया गया है अपने शपथ पत्र में उक्त भूमि मोमनराम अकेले की होना स्वीकार कर लेने के कारण उक्त भूमि वादीगण का पिता अकेला खातेदार काश्तकार हो चुका है लेकिन वादीगण के पिता दिनांक 18.11.2008 को पटवारी हल्का के पास रिपोर्ट करवाने गया तो पता चला की उक्त भूमि में दीपाराम का नाम भी दर्ज है जबकि उक्त भूमि ना तो दीपाराम ने निलामी में खरीद की थी और ना ही कभी काश्त किया सहवन से नाम दर्ज हो गया इसलिये वादीगण उक्त भूमि के सम्बध में अपने काश्तकारी हकों की घोषणा करवाकर अपने अकेले के नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

उक्त भूमि में दीपाराम का नाम दर्ज रहने से वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होात है वादीगण के पिता मोमनराम ने वाद दायरी से पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार कहा की वाद भूमि में दीपाराम का नाम हटा कर वादीगण के पिता मोमनराम अकेले का नाम दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 8 बारानी के प0न0 405/467 (54) के किला न0 1 ता 25 कुल 6.325हैक्ट भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 2 दीपाराम का नाम कलमजन किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित नही होने के कारण दिनांक 18.02.2011 को खारिज कर दिया गया था ।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2011 के विरूद्व वादीगण के पिता मोमनराम ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश की गई जिसमे दिनांक 24.05.2017 को निर्णय पारित किया जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.11.2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया की उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर एव साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

वादीगगण का वाद रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर सम्मन तलब किया गया किन्तु रजिस्टर सम्मन वापस प्राप्त होने पर वादी ने निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 2 का कोई अता पता नही है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 की तलबी जरिये हेतु प्रतिवादी संख्या 2 के सम्मन समाचार पत्र मे साया करवाये जावे प्रतिवादी संख्या 2 के सम्मन सामाचार पत्र मे साया करवाने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 2 या प्रतिवादी संख्या 2 को कोई प्लीडर न्यायालय में उपस्थित नही आने पर प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाब पेश किया गया की वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों का सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 का जबाब शामिल [illegible] किया जाकर तनकी कायम की गई तनकी कायम की जाकर उभयपक्षों [illegible] साक्ष्य वादी में पालाराम पुत्र मोमनराम ने मुख्य परिक्षा [illegible] दस्तावेजात प्रदर्श करवाये गये व मातूसिह पुत्र गणेशसिह व दलीवसिह पुत्र जय[illegible] के शपथ पत्र भी पेश करवाये गये और साक्ष्य नही करवाने पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी हेत पत्रावली रखी गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किन्तु काफी समय साक्ष्यप्रतिवादी हेतु दिये जाने के उपरान्त भी सक्ष्यप्रतिवादी नही करवाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीगण के पिता स्व मोमनराम ने रोही मौजा चक 8 बारानी के प0न0 405/467(54) के किला न0 1 से 25 की कुल 6.325हैक भूमि राजस्थान सरकार से पुख्ता निलामी में खरीद की थी तब से लेकर आज तक पूर्व में वादीगण के पिता मोमनराम व मोमनराम के देहान्त होने पर वादीगण लगातार काश्त करते आ रहे है।

उक्त भूमि निलामी में खरीद करने पर निलामी की समस्त राशि वादीगण के पिता मोमनराम ने जमा करवाई गयी थी वादीगण के पिता मोमनराम ने उक्त भूमि निलामी में खरीद करते समय प्रतिवादी संख्या 2 दीपाराम राईका जो उट व उटनियों का टोला लेकर उनको चराने के लिये आया हुआ था और हमारे पिता के पास कुछ दिनों के लिये रूका था वरवक्त उक्त निलामी हमारे पिता मोमनराम के कहने पर ही भूमि निलामी के समय एक बोली हमारे पिता की और से दी गई थी लेकन हमारे पिता द्वारा उससे ज्यादा किमत की बोली लगाने पर हमारे पिता मोमनराम की सवोच्य बोली होने के कारण उक्त बोली मोमनराम के पक्ष में छोड दी गई थी और उक्त दीपाराम प्रतिवादी संख्या 2 इसके कुछ दिन बाद सन 1971 मे अपने उट उठनीयों को लेकर अन्यत्र कही चला गया और इसके बाद आज तक कभी भी लोटकर नही आया है और ना ही उसका अता पता मालूम है इसलिये उसकी सिविल डैथ व्यवहारिक मृत्यू हो चुकी है और ना ही उसका कोई वारिस गांव में मौजूद है ।

दीपाराम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक बार बोली देने के कारण सहवन से उस समय राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता स्वर्गीय मोमनराम के सथ दीपाराम बहिब दीपाराम का नाम दर्ज कर दिया लेकिन उसी समय सन 1971 में ही दीपाराम प्रतिवादी ने मुतवफी मोमनराम के पक्ष में एक शपथ पत्र उक्त भूमि में अपना कोई हक हिस्सा नही होने और मोमनराम अकेले की निलामी में खरीद शुद्वा भूमि होने के बाबत लिखकर तस्दीक करवा दिया था हमारे पिता अनपढ देहात का रहने वाला व्यक्ति था उसने असल शपथपत्र पटवारी हल्का को दे दिया और मान लिया था कि उक्त भूमि के उसके अकेले के नाम दर्ज हो गयी है ।

उक्त प्रतिवादी संख्या 2 दीपाराम द्वारा आज तक कभी भी ना तो भूमि काश्त की गई है और ना ही लगान अदा किया गया है अपने शपथ पत्र में उक्त भूमि मोमनराम अकेले की होना स्वीकार कर लेने के कारण उक्त भूमि वादीगण का पिता अकेला खातेदार काश्तकार हो चुका है लेकिन वादीगण के पिता दिनांक 18.11.2008 को पटवारी हल्का के पास रिपोर्ट करवाने गया तो पता चला की उक्त भूमि में दीपाराम का नाम भी दर्ज है जबकि उक्त भूमि ना तो दीपाराम ने निलामी में खरीद की थी और ना ही कभी काश्त किया सहवन से नाम दर्ज हो गया इसलिये वादीगण उक्त भूमि के सम्बध में अपने काश्तकारी हकों की घोषणा करवाकर अपने अकेले के नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

अपने कथनों की ताईद में वादीगण ने नकल जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 ईएक्सपी– 1 , खतोनी जमाबन्दी सम्वत 2045 ईएक्सी– 2 शपथ पत्र दीपाराम की चित्रप्रति ईएक्सपी– 3 , व चित्रप्रति इकरारनामा ईएक्सपी– 4 असल चालान ईएक्सपी– 5 , चित्रप्रति शपथ पत्र ईएक्सपी– 7 तस्दीक ग्राम पंचायत सरदारगढिया ईएक्सपी– 8 पेश की गई है।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:55:54 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी [illegible] किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्य सबुतों के आधार पर तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से किया गया।

<u>तनकी न. 1 आया कि चक 8 बारानी के प0न[illegible]05/467(54) किला न0 1 ता 25 की 6.325हैक बारानी भूमि वादी अकेले की निलामी में ली हुई भूमि है उक्त भूमि में वादी के अलावा अन्य किसी का कोई भी हक हिस्सा नही है ।? वादी</u>

तनकी न. 1 का साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण ने तनकी न0 1 के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 ईएक्सपी– 1 , खतोनी जमाबन्दी सम्वत 2045 ईएक्सी– 2 शपथ पत्र दीपाराम की चित्रप्रति ईएक्सपी– 3 , व चित्रप्रति इकरारनामा ईएक्सपी– 4 असल चालान ईएक्सपी– 5 , चित्रप्रति शपथ पत्र ईएक्सपी– 7 तस्दीक ग्राम पंचायत सरदारगढिया ईएक्सपी– 8 पेश की गई है।

वादीगण का कथन है वादीगण के पिता मोमनराम ने वाद भूमि निलामी में खरीद की गई थी वाद भूमि की निलामी के समय प्रतिवादी संख्या 2 दीपाराम ने भी निलामी में बोली लगाई गई थी किन्त सवोच्य बोली वादीगण के पिता मोमनराम की रहने के कारण वादीगण के पिता मोमनराम को भूमि अलोट की गई थी किन्तु भूमि निलामी में ली जाने के आदेश जारी करते समय वादीगण के पिता मोमनराम के साथ प्रतिवादी संख्या 2 दीपाराम का नाम भी दर्ज कर दिया जो गलत है जिसे हटाया जावे।

हम वादीगण के कथनों से सहमत है क्योकि किसी भी निलामी में निलामी दाता एक से अधिक हो सकते है अर्थात निलामी में एक से अधिक काश्तकार हो सकते है किन्तु सबसे अधिक निलामी (बोली) एक ही काश्तकार की हो सकती है जिसकी सबसे अधिक बोली होगी उसी के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाने चाहिये थे किन्तु हस्तगत प्रकरण में वादीगण के पिता मोमनराम की बोली सबसे अधिक होने के बावजूद भी दुसरे बोलीदाता प्रतिवादी सख्या 2 का नाम वादीगण के पिता मोमनराम के साथ अंकित कर दिया गया जो न्यायोचित नही है जिसे वादीगण दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है अतः तनकी न. 1 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

<u>तनकी न0 2 आया कि उक्त भूमि की समस्त राशि वादी ने ही जमा करवाई थी –वादी</u>

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर था वाद भूमि निलामी में खरीद करने के उपरान्त निलामी राशि को राजकोष मे जमा करवाया जाना बोलीदाता का दायित्व था वादीगण के पिता मोमनराम ने निलामी राशि जमा करवाने के सक्ष्य में मुल चालान की प्रतिया पेश की गई है जिससे साबित है निलामी में खरीद की गई भूमि की राशि वादीगण के पिता मोमनराम द्वारा जमा करवाई गई है क्योकि चालान की असल प्रतिया उसी के पास होगी जिसके द्वारा राशि जमा करवाई गई है असल चालान की प्रतिया प्रस्तुत करने के कारण वादीगण के पिता मोमनराम के द्वारा निलामी राशि जमा करवाया जाना साबित है अतः तनकी न0 2 भी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

<u>तनकी न. 3 यह कि उक्त भूमि में सहवन से दीपाराम का नाम दर्ज हो गया है दीपाराम ने अपना नाम हटवाने बाबत लिख पढी करवाकर तहसीलदार को दे दिया तथा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित भी कर दिया गया ।? वादी</u>

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबुतों के अनुसार वाद भूमि वादीगण के पिता मोमनराम ने निलामी मे सवोच्य बोली देकर खरीद की गई थी वादीगण के पिता मोमनराम के साथ दीपराम प्रतिवादी संख्या 2 ने भी बोली दी थी किन्तु सबसे अधिक बोली वादीगण के पिता मोमनराम की रहने के कारण वाद भूमि वादीगण के पिता मोमनराम को दी गई थी किन्तु सहवन से निलामी में खरीद की गई भूमि का आदेश जारी करते समय वादीगण के पिता मोमनराम के साथ दिपाराम प्रतिवादी संख्या 2 का नाम भी अंकित कर दिया सहवन से दीपाराम का नाम अंकित होने पर वादीगण के पिता मोमनराम ने दीपाराम से इस आश्य का शपथ पत्र लिखया गया की वाद भूमि वादीगण के पिता मोमनराम ने निलामी में ली गई है उसमे दीपाराम प्रतिवादी संख्या 2 का कोई हक हिस्सा नही है इसलिये उसका नाम निलामी आदेश से हटाया जावे।

वादीगण के द्वारा दीपाराम के शपथ [illegible] किया गया है जो तत्समय दीपराम के द्वारा लिखा गया था जिसके अनुसार वादीगण के [illegible] ने भूमि निलामी मे खरीद की गई है सहवन से उसका नाम अंकित हुआ है इसलिये उसका नाम निलामी आदेश से हटाया जावे क्योकि वह केवल एक बोलीदाता था सबसे अधिक बोली मोमनराम की रही थी इसलिये वाद भूमि मोमनराम के हक हिस्सा की है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसप्रकार दीपाराम स्वय ने स्वीकार किया है कि वाद भूमि वादीगण के पिता मोमनराम को सवोच्य बोलीदाता होने के कारण निलामी में खरीद की गई थी सबवन से दीपाराम प्रतिवादी संख्या 2 का नाम अंकित हुआ है दीपाराम का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है मोमनराम अकेले की निलामी में खरीद की गई भूमि है अतः दीपाराम के शपथ पत्र के आधार पर तनकी न0 3 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 4 आया कि उक्त भूमि पर बाद निलामी वादी ही काबिज है।? वादी

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है वादीगण ने तनकी के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत सरदारगढिया व ग्राम के अन्य मौजिज व्यक्तियों के ब्यान करवाये गये है जिनके वाद भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है वाद भूमि वादगण के पिता मोमनराम ने निलामी में खरीद की गई थी तब से लेकर पहले वादीगण का पिता मोमनराम काश्त करता रहा तथा वादीगण के पिता मोमनराम के देहान्त होने पर वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है सरपंच ग्राम पचायत सरदारगढिया के द्वारा तस्दीक पेश की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2 दीपाराम नाम को कोई व्यक्ति ग्राम सरदारगढिया में निवास नही करता है ना ही इसकी कोई भूमि ग्राम या चक 8 बारानी में है अर्थात दीपाराम नाम का कोई व्यक्ति ही गांव में नही है तो वाद भूमि काश्त करने का प्रश्न ही नही है यहॉ यह उल्लखनिय है कि वादीगण के पिता मोमनराम का कथन है कि दीपाराम उट उठनीया को चराने का काम करता था जो गांव गाव घुमता रहता है सत्य प्रतित होता है क्योकि दीपाराम को गांव में किसी के द्वारा नही देखा जाना ना ही सुना जाना वादीगण के पिता मोमनराम के कथनों को बल देता है।

अतः यह तनकी भी वादीगण के द्वारा साबित करने के कारण वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न.0 5 आया कि दीपाराम ने नाम हटाने बाबत आजतक कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही हुआ है।? प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था निलामी के बाद मोमनराम के साथ दीपाराम का नाम दर्ज होने पर दीपराम ने शपथ पत्र तत्कालीन तहसीलदार के समक्ष पेश जाना व्यक्त किया गया है किन्तु साक्ष्य में शपथ पत्र की प्रति पेश की गई किसी प्रार्थना पत्र की प्रति प्रस्तुत नही की जाने के कारण तनकी न0 4 आशिक तौर से प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न.06 आया कि तहसीलदार दीपाराम का नाम हटाने में सक्षम नही है प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था मोमनराम के द्वारा निलामी में भूमि लेने के बाद निलामी आदेश में दीपाराम प्रतिवादी संख्या 2 का नाम सहवन से अंकित होने के कारण मोमनराम के साथ दीपाराम का नाम अंकित कर दिया गया था जिसे हटाने के लिये दीपाराम ने शपथ पत्र पेश किया गया था किन्तु निलामी आदेश के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तहसीलदार राजस्व रिकार्ड में परिर्वतन करने का अधिकारी नही था सक्षम अधिकारी ही नाम हटाने का आदेश कर सकता था अतः तनकी न. 6 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न.0 7 आया कि दीपराम फोत हो चुका है इसके वारिसान को फरीक दावा नही बनाया गया है । प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी संख्या 2 का नाम सहवन से मोमनराम के साथ अंकित हो गया था जिसे हटाने की कार्यवाही के दौरान दीपाराम को सुना जाना आवश्यक था किन्तु प्रतिवादी ने दीपाराम के निवास के सम्बध में कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया तथा इस बात का साक्ष्य भी पेश नही किया गया की दीपराम जीवित है या फोत हो गया है मात्र कथन किया गया है किन्तु न्यायालय के द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज पते पर रजिस्टर सम्मन से तलब किया गया तत्पश्चात दीपाराम के सम्मन दैनिक समाचार पत्र में भी साया करवाया गया है किन्तु दीपाराम या उनका कोई वारिस न्यायालय में नही आया है अर्थात दीपाराम की सिविल डैथ हो चुकी है जिसका कोई भी वारिस सामने नही आया है ना ही दीपाराम के बारे में किसी के द्वारा सुना या देखा गया है ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आमजन को इसके बारे में जानकारी है जानकारी के अभाव मे पक्षकार बनाया जाना सम्भव नही है अतः तनकी न. 7 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न.0 8 आया कि 80 सीपीसी का नोटिस नही दिया गया है।? **प्रतिवादी**

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था

वादीगण ने वाद राज्य सरकार के विरूद्व पेश किया गया था राज्य सरकार के विरूद्व वाद पेश करने के कारण 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है हस्तगत प्रकरण काफी पुराना हो चुका है एव रिमाण्ड भी हो चुका है 80 सीपीसी के नोटिस के द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधि पेरोकार राज के ध्यान में लाया जाना होता है हस्तगत प्रकरण में राज्य सरकार के द्वारा जबाब पेश किया जा चुका है अतः तनकी न. 8 प्रतिवादी के पक्ष में तय किया जाता है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार वादीगण के पिता मोमनराम ने वाद भूमि जरिये निलामी में खरीद की गई थी वाद भूमि की निलामी के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 दीपाराम ने भी मोमनराम के साथ वाद भूमि की बोली लगाई गई थी किन्तु सबसे अधिक बोली मोमनराम की होने के कारण बोली मोमनराम के नाम रही थी लेकिन वाद भूमि की निलामी में ली गई भूमि का आदेश जारी करते समय वादीगण के पिता मोमनराम के साथ प्रतिवादी संख्या 2 दीपाराम का नाम अंकित हो गया जिसके सम्बध में दीपाराम प्रतिवादी संख्या 2 ने लिखित में शपथ पत्र पेश किया गया की उसके द्वारा निलामी में भाग लिया गया था सहवन से निलामी आदेश में उसका नाम अंकित हुआ है जिसे हटाया जावे वादीगण के पिता मोमनराम के द्वारा ही निलामी में ली गई भूमि की रशि जमा करवाई गई है जो प्रस्तुत चालान की प्रति से साबित है तथा दीपाराम वर्तमान में कहा निवास करता है या दीपाराम जीवित है या नही के सम्बध में भी जानकारी नही है जिसके सम्बध में सरंपच ग्राम पचायत सरदारगढिया के द्वारा तस्दीक भी पेश की गई है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के सम्मन समाचार पत्र में साया करवाने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 2 या उसका कोई प्रतिनिधि /वारिस न्यायालय में उपस्थित नही आया है जिसकी सिविल डैथ होना माना जा सकता है पेरोकार राज के द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे वादीगण के पिता मोमनराम के द्वारा वाद भूमि निलामी नही लेना साबित होता हो पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद भूमि वादीगण के पिता मोमनराम के द्वारा निलामी में ली जानी पाई जाती है सहवन से दीपाराम का नाम अंकित हुआ है जिसे कलमजन किया जाकर मोमनराम के देहान्त होने पर मोमनराम के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है अतः वादीगण का वाद काबिल डिक्री है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 8 बारानी के खाता संख्या 39/35 की कुल 6.3250हैक भूमि में वादी संख्या 1/1 से 1/4 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 बहिब 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 प्रत्येक 1/5 –1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 2 दीपाराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधित की जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14/06/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मोमनराम पुत्र भरूराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (फोत)
1. रामस्वरूप (फोत) 1/1 सुन्दर पत्नी रामस्वरूप 1/2 इन्द्रा पुत्री रामस्वरूप 1/3 सुरेश पुत्र रामस्वरूप 1/4 राकेश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा
2. राजेन्द्र पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन सरदारगढिया (फोत) 2/1 गिदो पत्नी राजेन्द्र 2/2 विनोद कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार 2/3 बलवानसिह पुत्र राजेन्द्र कुमार जति जाट साकिन सरदारगढिया तह भादरा
3. पालाराम पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन सरदारगढिया तहसील भादरा
4. सावित्री पुत्री मोमनराम जाति जाट साकिन सरदारगढिया तहसील भादरा
5. बिमला पुत्री मोमनराम जाति जाट साकिन सरदारगढिया तहसील भादरा

वादीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दीपाराम पुत्र जैसाराम उर्फ जैलाराम जाति राईका निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 02 सन 2019 निर्णय दिनांक– 14/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 8 बारानी के खाता संख्या 39/35 की कुल 6.3250हैक भूमि में वादी संख्या 1/1 से 1/4 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 बहिब 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 प्रत्येक 1/5 –1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 2 दीपाराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधित की जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:55:54 IST
Reason: SelfAttested